98

संख्या–114/2014/16/ix/2010

प्रेषक,

राकेश शर्मा,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड नागरिक उड्डयन
विकास प्राधिकरण सहस्त्रधारा
हेलीड्रोम देहरादून।

नागरिक उड्डयन अनुभाग देहरादूनः दिनांक 4 सितम्बर, 2014

विषय– सहस्रधारा हैलीपैड में नये कार्यो के अन्तर्गत जीर्णोद्वार, फर्नीसिंग एवं अग्निशमन उपकरणों की स्थापना के कार्य हेतु गठित आंगणन की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1085/लेखा/बजट/प्लान/ 2014–15 दिनांक 23 जून, 2014 की ओर आपका ध्यान आकर्ष करते हुए मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद देहरादून में सहस्त्रधारा हैलीपैड में नये कार्यो के अन्तर्गत जीर्णोद्वार, साज–सज्जा एवं अग्निशमन उपकरणों की स्थापना के कार्यो हेतु उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0 द्वारा गठित आंगणन रू0 266.72 लाख की लागत के सापेक्ष टी0ए0सी0 द्वारा आंकलित लागत रू0 45.57 लाख के सापेक्ष औचित्यपूर्ण धनराशि रू0 37.16 लाख (रू0 सैतीस लाख सोलह हजार मात्र) तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के प्राविधानों से अच्छादित कार्यो हेतु आंगणन में उल्लिखित लागत रू0 221.15 लाख (रू0 दो करोड इक्कीस लाख पन्द्रह हजार मात्र) इस प्रकार कुल रू0 258.31 लाख (रू0 दो करोड़ अठावन लाख इक्कतीस हजार मात्र) की लागत के आंगणन की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए इतनी ही धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014–15 में व्यय करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– चूंकि विभागीय अनुदान संख्या–24 के लेखाशीर्षक 5053–नागर विमानन पर पूँजीगत परिव्यय–02–विमान पत्तन–00–आयोजनागत 800–अन्य व्यय–04–हवाई पट्टी का सुदृढीकरण एवं अन्य निर्माण कार्य–24–वृहत्त निर्माण कार्य में उपलब्ध बजट एस0पी0ए0 की मद से उपलब्ध है तथा वित्त एवं नियोजन विभाग द्वारा अभी इस धनराशि के व्यय की सहमति नहीं प्रदान की गयी है। अतः उक्त स्वीकृत की जा रही रू0 258.31 लाख (रू0 दो करोड़ अठ्ठावन लाख इक्कतीस हजार मात्र) की धनराशि कोषागार से आहरित न कर पूर्व में शासनादेश संख्या–86/2014/IX/44/2013 दिनांक 10 जून, 2014 के द्वारा उत्तराखण्ड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण के निर्वतन पर वित्तीय वर्ष 2014–15 में उपलब्ध करायी गयी धनराशि रू0 100000 हजार (रू0 दस करोड़ मात्र) में से आवश्यकतानुसार व नियमानुसार आहरित कर भुगतान की जायेगी।

3– उक्त धनराशि रू0 258.31 लाख (रू0 दो करोड़ अठावन लाख इक्कतीस हजार मात्र) का आहरण करते हुए परियोजना प्रबन्धक उ0प्र0रा0नि0नि0लि0 देहरादून यूनिट–1 देहरादून को रेखांकित बैंक ड्राप्ट के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

4– चूंकि प्राधिकरण के अन्तर्गत कार्मिकों की कमी है अतः आगणन में सम्मिलित साज सज्जा तथा उपकरणों के क्रय आदि के वे कार्य जो उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली,

2008 से आच्छादित है, के संबंध में नियमावली के अनुसार विभागीय स्तर पर आवश्यक कार्यवाही करते हुए कार्यदायी संस्था के माध्यम से नियमानुसार क्रय की कार्यवाही सुनिश्चित कराया जाय। इस हेतु कार्यदायी संस्था द्वारा गठित समिति में विभागीय प्रतिनिधित्व भी सुनिश्चित किया जाय।

5— स्वीकृत की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित कर उसकी भौतिक व वित्तीय प्रगति प्रत्येक माह की पांच तारीख तक निदेशालय एवं शासन को उपलब्ध करायी जाय।

6— उक्त धनराशि का यदि दिनांक 31 मार्च, 2015 तक पूर्ण रूप से उपयोग नही किया गया अथवा कोई धनरशि अवशेष रहती है तो इसे शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

7— अग्रिम के रूप में इस धनराशि का समायोजन 31 मार्च, 2015 तक कर लिया जाय। समायोजन का दायित्व विभाग एवं सम्बन्धित निर्माण इकाई का होगा, अन्यथा अनियमितता की स्थिति में पूर्ण रूप से उत्तरदायी माने जायेगें।

8— निर्माण संस्था के साथ वित्त विभाग के आदेशानुसार निर्धारित प्रारूप पर एम0ओ0यू0 अवश्य हस्ताक्षरित करा लिया जाय।

9— कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शिड्यूल आफ रेट्स में स्वीकृत नही है, अथवा बाजार भाव से ली गयी हैं, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदित कराना आवश्यक है।

10— कार्य करने से पूर्व स्वीकृत आगणन/मानिचत्र गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

11— कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय, जितनी राशि स्वीकृत की गयी है। आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय। एक मद का व्यय दूसरी मद में कदापि न किया जाय।

12— एक मुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व, विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम अधिकारी से अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाय।

13— कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मध्येनजर रखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशष्ठियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

14— कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भू–गर्भ वेत्ता(कार्य की आवश्यकतानुसार)से कार्य स्थल का भली–भांति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाय तथा निरीक्षण के पश्चात् दिये गये निर्देशों के अनुसार ही कार्य करायें जाय।

15— निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला में अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

16— मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV–291 (2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन किया जाय।

17— जे0पी0 डब्लू फार्म–09 की शर्तो के अनुसार निर्माण इकाई को कार्य सम्पादित करना होगा तथा समय से कार्य को पूर्ण न करने पर 10 प्रतिशत की दर से आगणन की कुल लागत का निर्माण इकाई से दण्ड वसूल किया जायेगा।

18— इस संबंध में व्यय विवरण तथा आवश्यक वाउचर आदि सुरक्षित रखे जायेंगे।

19— व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल तथा वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियम निर्देशों तथा अस्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

20— धनराशि का व्यय करते समय मितव्यता सम्बन्धी नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाय।

21– कार्य के निर्माण के संबंध में वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश दिनांक 05.04.2004 का अनुपालन किया जायेगा।

22– कार्य अनुमोदित आगणन की सीमान्तर्गत ही करायें, किसी भी दशा मे पुनरीक्षित आगणन/अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति प्रदान नही की जायेगी।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–259/XXXVI(2)/2010 दिनांक 01 सितम्बर, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

भवदीय,

(राकेश शर्मा)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या– 114/16/IX/2010, तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार (आडिट) उत्तराखण्ड वैभव पैलेस,सी–1/105 इन्दिरानगर देहरादून।
2– महालेखाकार उत्तराखण्ड (ए0एण्ड0ई0) ओबेराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़ देहरादून।
3– आयुक्त गढ़वाल मण्डल देहरादून।
4– निजी सचिव, मा0मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
5– स्टाफ आफीसर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6– प्रमुख सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
7– प्रमुख सचिव नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।
8– निदेशक, नागरिक उड्डयन निदेशालय जौलीग्रान्ट, एयरपोर्ट देहरादून।
9– जिलाधिकारी देहरादून।
10– वरिष्ठ कोषाधिकारी देहरादून।
11– मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड।
12– परियोजना प्रबन्धक, उ0 प्र0 रा0 नि0 नि0 लि0 देहरादून यूनिट–1 देहरादून को टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षण किये गये आंगणन की फोटोस्टेट प्रति सहित इस निर्देश के साथ कि योजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का लक्ष्य निर्धारित कर निदेशालय एवं शासन को अवगत करायें।
13– वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
14– गार्ड फाइल।
15– एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर देहरादून।

आज्ञा से,

(प्रकाश चन्द्र जोशी)
अनु सचिव।